ई-मेल/क्षेत्रीय वाहक द्वारा

प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 191 /क्रय/जनरल/(2121-052)/2018/03 दिनांक 19/01/2018

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0 जल निगम ।

विषय:- **दिनांक 01.07.2017 से गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) लागू होने के परिपेक्ष्य में फर्मो को किये जा रहे भुगतान के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

दिनांक 01.07.2017 से गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (जी.एस.टी.) लागू होने के पश्चात से क्रय अनुभाग द्वारा विभिन्न केन्द्रीयकृत सामग्रियों की जो दरें दी गई है, उनमें अगले आदेशों तक कुल भुगतान (जी.एस.टी. सहित) पर 5 प्रतिशत की कटौती किया जाना निहित है, जिससे समय-समय पर आपको सूचित किया जाता रहा है । अत: यह सुनिश्चित कर लें कि दिनांक 01.07.2017 के पश्चात फर्मो को जो भी भुगतान किये जा रहे हैं/किये गये हैं, उनमें अगले आदेशों तक 5 प्रतिशत की कटौती (कुल दरों पर जी.एस.टी. सहित) की जाये । यदि किसी खण्डाधिकारी द्वारा उक्त 5 प्रतिशत की कटौती नहीं की गई है तो उसे फर्म के लम्बित देयकों से काटा जाना सुनिश्चित करें । खण्डों में फर्म का कोई भुगतान अवशेष न होने पर इस कार्यालय को कटौती हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

19/01/18

(समीर गोविल)
सामग्री प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता(क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम ।

19/1/18

उप सामग्री प्रबन्धक